उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 01/XXVII(9)–2010/स्टाम्प–02/2010
देहरादूनः दिनांकः 08 मार्च, 2010

अधिसूचना

राज्यपाल साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 10, 1897) की धारा 21 के साथ पठित, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 अधिनियम संख्या 16, सन् 1908 की धारा 5 व 7 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके इस निमित्त जारी की गयी अधिसूचना संख्या एस0आर0–1057/दस–312(273)/70 दिनांक 23 अप्रैल, 1980 में आंशिक उपान्तर करके विलेखों के पंजीकरण हेतु जिला ऊधमसिंह नगर के उप–जिला काशीपुर की सीमाओं में परिवर्तन करके जिला ऊधमसिंह नगर में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तिथि से नया उप–जिला जसपुर बनाते हैं और उप–जिला जसपुर की सीमाओं को जैसा कि नीचे अनुसूची स्तम्भ–3 में प्रत्येक के सामने दर्शाया गया है, विहित करते हैः–

:: **अनुसूची** ::

क्र0सं0	नये उप जिले का नाम	उप जिले की सीमायें
1.	जसपुर	जसपुर की राजस्व तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र

(एल0एम0 पन्त)
सचिव।

पत्रांक : 77/01(1) XXVII(9)–2010/स्टाम्प–02/2010, तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को (अंग्रेजी के रूपान्तरण सहित) आगामी अंक में प्रकाशन उपरान्त 50–50 प्रतियां शासन में उपलब्ध करा दें।
5. प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)
सचिव।